

प्रेस- नोटथाना- फूलपुरचोरी की घटना का अनावरण , चोरी गये आभूषण व नगदी के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुर्व की घटना का इतिहास- दिनांक 06-11-2023 को मुकदमा वादी मुकदमा फूरकान अहमद पुत्र इजहार अहमद सा0 सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दिया कि ग्राम गहनी खुर्द में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित किया गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 519/23 धारा 457/380 भादवि विरुद्ध अज्ञात कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण – दिनांक 13.11.2023 को उ0नि0 शिवप्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल पुत्र फूलचन्द्र राजभर साकिन रीवां सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष व सोनू पुत्र अच्छे लाल राजभर निवासी रीवां सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को दुर्वाषा गेट सदरपुर बरौली से समय 19-20 बजे चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से एक सोने की अगुठी, एक मांग टीका, एक जोडा कान का टपस, व कुल 3500 रुपया बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 519/23 धारा 457/380 भादवि ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनिल पुत्र फूलचन्द्र राजभर साकिन रीवां सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष
 - 2- सोनू पुत्र अच्छे लाल राजभर निवासी रीवां सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष बरामदगी का विवरण- एक सोने की अगुठी, एक मांग टीका, एक जोडा कान का टपस, व कुल 3500 रुपया ।
- गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 शिवप्रसाद सिंह, का0 आशीष कुमार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

थाना तहबरपुरचोरी में वांछित अभियुक्त व बाल अपचारी विद्युत तार के साथ गिरफ्तार

पुर्व की घटना/इतिहास- दिनांक- 12.11.2023 को मुकदमा वादी प्रवेश कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 चतुरी ग्राम मधेसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना तहबरपुर पर सूचना दिया कि सामा यादव आदि 04 नफर द्वारा दिनांक 10/11/2023 को रात्रि करीब 10 बजे ग्राम खरचलपुर से सरकारी विद्युत खम्भे से बिजली का लगभग 400 मी0 तार चोरी किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 223/2023 धारा 379 भा0द0वि0 बनाम सामा यादव आदि 04 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.11.2023 को उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय व हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियोग में नामित अभियुक्त गणेश यादव को सोफीपुर से समय 8.20 बजे गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अभियुक्त व बाल अपचारी के कब्जे से चोरी गए करीब 100 मी0 एल्युमीनियम के विद्युत तार बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 223/2023 धारा 379,411 भा0द0वि0, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- गणेश यादव पुत्र रमाशंकर यादव, उम्र करीब 27 व एक बाल अपचारी निवासीगण रमनीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी का विवरण - करीब 100 मी0 एल्युमीनियम के विद्युत तार ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 रत्नेश कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 अजय राय थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना - अहरौला, आजमगढ़
हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 13.11.2023 को वादी मुकदमा त्रिवेणी राजभर पुत्र दयाराम राजभर ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित सूचना दिया कि गाली देने से मना करने पर बालेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 कुमार आदि 03 नफर द्वारा गाली गुत्ता, जान माल की धमकी देते हुए घर में घुसकर लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, लात, मूकां से जान मारने की नियत मारा पीटा गया है जिस सम्बंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 376/23 धारा 323/504/506/452/307 भादवि बनाम 1. बालेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 कुमार 2. विशाल राजभर पुत्र बालेन्द्र राजभर 3. रामसूरत राजभर पुत्र स्व0 पतिराम राजभर निवासी गण सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अमित कुमार पाल द्वारा प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.11.2023 को उ0नि0 अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 बालेन्द्र राजभर पुत्र स्व. रामकुमार निवासी ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को मेहियापार पुलिया के पास से समय करीब 12.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 376/23 धारा 323/504/506/452/307 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता – 1. बालेन्द्र राजभर पुत्र स्व. रामकुमार निवासी ग्राम सारैन उम्र 43 वर्ष थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार पाल, का0 सौरभ राय व का0 परीक्षित दूबे थाना अहरौला आजमगढ़।

रौनापार-आजमगढ़
हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 13.11.2023 को वादी श्री चन्द्रिका निषाद पुत्र रामपलट निषाद ग्रा0 सैदौली गरथौली बुढानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित सूचना दिया कि विपक्षी पारिवारिक विवाद को लेकर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, बीच बचाव करने आये वादी के चाचा जिन्ह विपक्षी द्वारा धक्का देकर मार-पीट की गयी, इलाज के दौरान वादी मुकदमा के पिता की मृत्यु हो गयी के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 372/23 धारा 302 भादवि बनाम 1. शंकर निषाद पुत्र लालधर निषाद 2. श्रवन निषाद पुत्र लालधर निषाद 3. चन्दा पत्नी श्रवन निषाद साकिन सरदौली गरथौली बुढानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.11.2023 को प्र0नि0 संजय कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शंकर निषाद पुत्र लालधर निषाद 2. श्रवन निषाद पुत्र लालधर निषाद 3. चन्दा पत्नी श्रवन निषाद साकिन सरदौली गरथौली बुढानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को भीमबर पुलिया के पास से समय करीब 1.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 372/23 धारा 302 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शंकर निषाद पुत्र लालधर निषाद निवासी सरदौली गरथौली बुढानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. श्रवन निषाद पुत्र लालधर निषाद निवासी सरदौली गरथौली बुढानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. चन्दा पत्नी श्रवन निषाद निवासी सरदौली गरथौली बुढानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- प्र0नि0 संजय कुमार पाल मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना -देवगाँव आजमगढ़
अवैध असलहा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.11.2023 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा गोसाईगंज बाजार में चेकिंग के दौरान लेकर घोडसहना नहर के पुल के पास से एक व्यक्ति राहुल यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी घोडसहना थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को अवैध शस्त्र 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ समय 02.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 524/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 524/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:- 1. राहुल यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी घोडसहना थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण - 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम- उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना -गम्भीरपुर

चोरी गये गेहूँ के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ इतिहास का विवरण – दिनांक 04.11.2023 को वादी मुकदमा श्री राहुल कुमार पुत्र शिवपूजन गुप्ता ग्राम मखदुमपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ ने थाना गम्भीरपुर पर आकर सूचना दिया कि विपक्षी शहनशाह पुत्र स्व0 शेरमुहम्मद व मुहम्मद अहमद पुत्र स्व0 फैजान अहमद ग्राम मकदुमपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ द्वारा गेहूँ चुराया गया है कि सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 365/23 धारा 457,380 भा0दवि0 आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 13.11.23 को समय 19.30 बजे उ.नि. मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शहनशाह पुत्र स्व0 शेरमुहम्मद ग्राम मकदुमपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र 35 वर्ष 2. मुहम्मद अहमद पुत्र स्व0 फैजान अहमद ग्राम मकदुमपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र 19 वर्ष को चोरी गये 2 बोरियो में कुल 60 किलो गेहूँ के साथ समय 19.30 बजे ग्राम मखदुमपुर से गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को आज दिनांक 14.11.23 को मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग -मु.अ.स. 365/2023 धारा 457,380,411 IPC थाना गम्भीरपुर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) शहनशाह पुत्र स्व0 शेरमुहम्मद ग्राम मकदुमपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र 35 वर्ष

(2) मुहम्मद अहमद पुत्र स्व0 फैजान अहमद ग्राम मकदुमपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र 19 वर्ष

बरामदगी -अभियुक्तगण के कब्जे से 2 बोरियो में कुल 60 किलो चोरी किया गया गेहूँ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ.नि. मिथलेश कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

2.HC महेन्द्र कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

3.आरक्षी विश्वामित्र थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

थाना- मेंहनगर

हत्या कर शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- वादी श्री श्रीराम यादव पुत्र रामराज यादव ग्राम गंगापुर काजी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ ने थाना मेंहनगर पर सूचना दिया कि मेरी लड़की उम्र करीब 14 साल को विपक्षी प्रदुम चौहान पुत्र धर्मेन्द्र चौहान ग्राम देवईत थाना मेंहनगर दो माह पूर्व बहला फुसलाकर भगा ले गया था दिनांक 9.11.23 को मुझे पता चला कि उपरोक्त प्रदुम व प्रदुम के पिता धर्मेन्द्र व धर्मेन्द्र की औरत व तीन लडकिया व 1 लडका 4-5 दिन पूर्व मार कर हत्या कर दिये तथा उसके शव को जला दिये। के सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 486/23 धारा 34/363/302/201 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण - दिनांक 14.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.प्रदुम चौहान पुत्र धर्मेन्द्र चौहान उम्र 18 वर्ष निवासी देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ 2.धर्मेन्द्र चौहान पुत्र सुधिराम चौहान उम्र 48 वर्ष निवासी देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को देवईत पुलिया से समय करीब 13.25 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्तगण के निशा देही पर हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल को मौके से व गमछा को उनके घर से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 486/23 धारा 34/363/302/201 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ

बरामदगी का विवरण- हत्या में प्रयुक्त गमछा, व एक अदद मोटर साइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.प्रदुम चौहान पुत्र धर्मेन्द्र चौहान उम्र 18 वर्ष निवासी देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

2.धर्मेन्द्र चौहान पुत्र सुधिराम चौहान उम्र 48 वर्ष निवासी देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम - प्र0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 हिमांशु गिरि, का0 वसीम अकरम, का0 प्रणय यादव, म0का0 तनु सिंह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

थाना-जहानागंज

चोरी गये मिक्सर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का इतिहास - दिनांक 17.10.23 को वादिनी मुकदमा महुआ मुरारपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर एक किता प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 13.10.23 को निहाल सिंह पुत्र स्वर्गीय तारकेश्वर सिंह ग्राम समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ मेरे घर मे घुसकर मिक्सर (बर्तन) चोरी कर कही पर बेच दिया है। के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0स0 454/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.11.2023 को उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त निहाल सिंह उर्फ ऋषभ सिंह पुत्र स्व0 तारकेश्वर सिंह निवासी समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को बजहा पुलिया के पास से समय करीब 11.30 बजे एक अदद फिलिप्स जूसर मिक्सर ग्राइन्डर व दो अदद जार व एक अदद जार प्लास्टिक के साथ

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 454/23 धारा 380/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी - एक अदद जूसर मिक्सर ग्राइन्डर (फिलिप्स कम्पनी) सीरीयल नम्बर 2208028179 व दो अदद जार तथा एक अदद जूसर
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - निहाल सिंह उर्फ ऋषभ सिंह पुत्र स्व0 तारकेश्वर सिंह निवासी समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना जहानागंज आजमगढ़
2. का0 विजय यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
3. का0 प्रदीप यादव थाना जहानागंज आजमगढ़